पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय भा.ति.सी.पु.,करैरा
P M SHRI KENDRIYA VIDYALAYA I.T.B.P.,KARERA
TEH.-KARERA, DISTT.-SHIVPURI(M.P)-473667
(MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA)
PHONE NUMBER 07493-299055, 299057
Website: https://itbpkarera.kvs.ac.in
E-mail: ppl.kareraitbp@kvs.gov.in
principalkvitbp@gmail.com
CBSE Affiliation No. -1000036 STATION CODE-067
CBSE SCHOOL NO-054128 KV CODE-1117

पत्रांक: फा.सं 054128 / आईसीसी/पुनर्गठन / के.वि.क /2023-24 / 459 दिनांक 06/01/2024

आतंरिक शिकायत समिति(आईसीसी) का पुनर्गठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय),नई दिल्ली के पत्रांक :फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)पार्ट-I दिनांक 03.06.2015 , समसंख्यक आदेश क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)पार्ट-I/1122-25 दिनांक 05.03.2019 एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय ,भोपाल के समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक : फा.27-1/2023/आई.सी.सी/के.वि.सं./भोपाल /7154 दिनांक 04/08/2023 एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा सहिंता के अनुच्छेद 160 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू " कार्य स्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीडन(रोकथाम ,निषेध और निवारण)अधिनियम 2013 की धारा 4(2) के अंतर्गत निहित प्रावधानों और दिशा -निर्देशों के अनुसार विद्यालय / कार्य स्थल पर महिला कर्मचारीयों के लिए सुरक्षित, प्रेरक एवं संरक्षित कार्यचालन वातावरण सुनिश्चित करने हेतु पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करेरा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित पूर्व के पत्रांक फा.सं. 054128/आईसीसी/के.वि.क/2022-23/252 दिनांक 12 अगस्त 2022 से गठित समिति में सशोधन करते हुये अब"आतंरिक शिकायत समिति(आईसीसी) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है –

आतंरिक शिकायत समिति(आईसीसी)

क्र. सं.	नाम	पद नाम	पता ,मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी	समिति में धारित पद	अधिकार क्षेत्र
1	श्रीमती रश्मि सिंह	पीजीटी (कंप्यूटर साइंस)	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करैरा 9335264085 simuashi@gmail.com	पीठासीन अधिकारी	उक्त आतंरिक शिकायत समिति(आईसीसी) पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भा.ति.सी.पु.,करेरा में पदस्थ सभी कर्मचारीयों/शिक्षको के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की शिकायतों की जाँच करेगी।
2	सुश्री सायरा परवीन	पीजीटी (वाणिज्य)	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करैरा 8317021675 sairap02@gmail.com	आतंरिक सदस्य	
3	श्री अंकुर मिश्रा	पीजीटी (भौतिक विज्ञान)	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करैरा 7905512320 ankur7964@gmail.com	आतंरिक सदस्य	
4	सुश्री मीनाक्षी दत्ता	परियोजना कार्यकारी संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से आत्मनिर्भर पहल –"सृजन" संस्था (गैर सरकारी संगठन)	सृजन संस्था महुअर कॉलोनी ,करेरा 96783 82474 duttaminakshi3@gmail.com	बाह्य (एन.जी. ओ) सदस्य	

06/01/2024

(डॉ दर्शन लाल मीना)
प्राचार्य

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
भा० ति० सी० पु०/I.T.B.P.
करैरा/KARERA

अनुमोदित है/~~अनुमोदित नहीं है~~।

अध्यक्ष/Chairman, VMC

आंतरिक शिकायत समिति(आईसीसी) की शक्तियां एवं कर्तव्य

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भा.ति.सी.पु.,करेरा ने यौन उत्पीड़न के बिरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति को अपनाया है और केंद्रीय विद्यालय यौन उत्पीड़न से लड़ने के लिए संवैधानिक अनिवार्यता के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय विद्यालय लैंगिक समता के दृढ़ समर्थक है और किसी प्रकार के भेदभाव, यौन उत्पीड़न और लैंगिक हिंसा का विरोध करता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय).नई दिल्ली के पत्रांक सं. F.11-55/2000-KVS(Vig.)/Pt.-I/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आदेशानुसार कार्य स्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीडन(रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार. पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भा.ति.सी.पु.,करेरा में महिलाओ के यौन उत्पीडन पर किसी भी शिकायत के निवारण के लिए उक्त आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है |

उक्त आंतरिक शिकायत समिति का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों के यौन उत्पीड़न एवं लैंगिक भेदभाव संबंधित प्राप्त शिकायतों पर अनुरुप कार्रवाई एवम रोकथाम, निषेध और निवारण करना है। विद्यालय की सभी महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल में सुरक्षित परिवेश को कायम रखना है।समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। समिति नियमित अंतराल में बैठकें आयोजित करनी होती है | शिकायत की तात्कालिकतानुसार शीघ्र बैठक का आयोजन किया जाना होता हैं। शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उसकी टिप्पणियों /सिफारिश तथा विशिष्ट निष्कर्षो और सहायक दस्तावेज के साथ जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है |आंतरिक महिला शिकायत समिति कार्यस्थल में लिंग समानता, भेदभाव रहित और यौन उत्पीड़न मुक्त एवं सकारात्मक परिवेश बनाने हेतु महिला यौन उत्पीडन विरोधी नीतियां तथा अन्य उपयुक्त दस्तावेज, कार्यशालाओं, पोस्टरों, विशेषज्ञों के भाषण इत्यादि के माध्यम से जागरूकता बना रखती है तथा महिलाओं के लिए प्रोत्साहनपूर्ण एवं गरिमा मय परिवेश निर्माण का हरसंभव प्रयत्न करती है।

समिति के पीठासीन अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य -

1.आतंरिक शिकायत समिति की नियमित अंतराल मे बैठकें आयोजित करनी होगी तथा शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की तात्कालिकतानुसार शीघ्र बैठक का आयोजन किया जाना होता हैं। उक्त बैठक का कार्यवृत्त संधारित किया जाना होगा | जाँच के संचालन के लिए तारीख और समय तय करने के लिए महिलाओ के मुद्दे एवं उनके कल्याण समबन्धित जानकारी रखने वालेअधिकारी-सदस्य,अन्य सदस्य और संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के साथ समन्वय रखते हुये कार्य करना सुनिश्चित करे |

2.. महिलाओ के मुद्दे एवं उनके कल्याण समबन्धित जानकारी रखने वाले अधिकारी-सदस्य के साथ समन्वय बनाते हुये जाँच के लिए यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाकर प्राचार्य को सूचित करना सुनिश्चित करे |

3.जाँच माननीय सुप्रीम कोर्ट के विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले के निर्णय दिनांक 13.08.1997 में निहित दिशा निर्देशों और मेघा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 के आदेश के अनुसार करनी होगी |

4. महिला कर्मचारीयों के यौन उत्पीडन के मामले की जाँच करते समय एक महिलाओ के मुद्दे एवं उनके कल्याण समबन्धित जानकारी रखने वालेअधिकारी-सदस्य का होना अनिवार्य है|

5. शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उसकी टिप्पणियों /सिफारिश तथा विशिष्ट निष्कर्षो और सहायक दस्तावेज के साथ जाँच रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |

6 पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा |

7. "कार्य स्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीडन(रोकथाम ,निषेध और निवारण)अधिनियम 2013" के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार की जावे |

8. समिति के पीठासीन अधिकारी एवं समस्त सदस्य केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा सहिंता के अनुच्छेद 160 में दर्शाए गए निदेशो एवं कार्यो का सत्यनिष्ठता एवं निष्पक्षता से निर्वहन करेंगे |

संलग्न : उल्लेखित यथोपरि

06/01/24

(डॉ.दर्शन लाल मीना)
प्राचार्य
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करेरा

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
भा0 ति0 सी0 पु0/I.T.B.P.
करैरा/KARERA

वितरण :

1. आंतरिक शिकायत समिति(आईसीसी) के पीठासीन अधिकारी एवं संबंधित आतंरिक & बाह्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. श्रीमान उपायुक्त ,केंद्रीय विद्यालय संगठन ,क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को सादर सूचनार्थ